न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 2610 / विधि   सहरसा, दिनांक 08-9-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-86/2021 में दिनांक-05.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-09/2020 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक पृ0सं0-01 से 03 तक तथा निम्न न्यायालय आदेश सहित अन्य कागजात-01 से 77 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि:- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुरैनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सबीला खातुन, पति-मो0 शेख सलीम / फुलबड़ी खातुन, पति-मो0 दिलखुश आलम, दोनों सा0-नरदह, वार्ड नं0-05, ग्राम पंचायत-नरदह, थाना वो प्रखंड-पुरैनी, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०..............................से..............................तक

जिला.............................., सं०.............................., सन् १९..............................

केस का प्रकार..............................

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
१	२	३
05/09/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-86/2021 सबीला खातुन....................पुनरीक्षणकर्त्ता -बनाम- राज्य एवं अन्य........................रेसपॉण्डेन्ट -:: आदेश ::- प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद सबीला खातुन, नरदह पूर्वी, वार्ड नं0-05, ग्राम पंचायत-नरदह, प्रखंड-पुरैनी, थाना-पुरैनी, जिला-मधेपुरा के द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-09/2020 में दिनांक 04.12.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिससे वादी के द्वारा दायर अपील आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। वादी का मूल रूप से कहना है कि आँगनबाड़ी सहायिका पद हेतु मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड-पुरैनी के ग्राम पंचायत-नरदह, वार्ड नं0-05 के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-34 पर चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया। उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र का वर्ग बाहुल्य सामान्य वर्ग निर्धारित था। वादी, जो उक्त पोषक क्षेत्र की स्थायी निवासी हैं, ने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाण-पत्र व विकलांगता प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं अन्य अपेक्षित कागजात प्रस्तुत किया। विपक्षी फुलबड़ी खातुन ने भी अपना आवेदन दाखिल किया। मेधा सूची का प्रकाशन दिनांक 24.06.2019 को किया गया, जिसमें वादी को 95% मेधा अंक के साथ क्रमांक-01 पर रखा गया, जबकि विपक्षी फुलबड़ी खातुन को 60.83% मेधा अंक के साथ क्रमांक-02 पर रखा गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुरैनी के ज्ञापांक-56 दिनांक 19.02.2020 द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-34 के सहायिका के चयन हेतु दिनांक 25.02.2020 को आमसभा की तिथि निर्धारित की गयी। वादी भी सभी मूल	

कागजात के साथ उपस्थित हुई एवं चयन समिति के द्वारा सर्वाधिक मेधा अंक के आधार पर वादी का चयन सहायिका के पद पर सर्वसम्मति से किया गया, जिस कारण से विपक्षी द्वारा यह कहते हुए हंगामा किया गया कि वादी उक्त पोषक क्षेत्र की नहीं है। हंगामा के कारण महिला पर्यवेक्षिका आमसभा से चली गयी। इस प्रकार विपक्षी के द्वारा चयन प्रक्रिया को बाधित किया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि उनका एवं उनके पति का नाम वर्ष 2016 के पंचायत नियमावली में क्रमशः क्रमांक 733 पर एवं 732 पर दर्ज है। वादी का कहना है कि सबीला खातुन के नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक सभी उक्त पोषक क्षेत्र का ही है। वादी के बच्चे का नाम भी स्थानीय स्कूल में दर्ज है तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण-पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। पुनरीक्षणकर्त्ता को बाद में अफवाहन सूचना मिली कि विपक्षी फुलबड़ी खातुन का चयन गलत व नाजायज तरीके से महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा कर दिया गया है। तब अपीलार्थी के द्वारा उक्त नाजायज चयन के विरूद्ध बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुरैनी को आवेदन दिया गया। उनके द्वारा सुनवाई नहीं किये जाने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के न्यायालय में फुलबड़ी खातुन के चयन के विरूद्ध आँगनबाड़ी वाद सं0-09/2020 दाखिल किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा साक्ष्य एवं सबूत का अवलोकन किये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के उक्त आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनका आवेदन प्रश्नगत आँगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र की बेटी होने के आधार पर खारिज किया गया है। उक्त आदेश में उल्लिखित है कि उनके पति एवं ससुर का नाम संबंधित पंचायत के मतदाता सूची में नहीं रहने के कारण उन्हें चयन हेतु अयोग्य किया जाना नियमसंगत है। उक्त के आलोक में वादी का कहना है कि मार्गदर्शिका, 2019 में कहीं भी यह नहीं निदेर्शित है कि गाँव/पोषक क्षेत्र की बेटी का चयन नहीं किया जाएगा, बल्कि कंडिका-5 में प्रावधान किया गया है कि "संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा।" पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि वे अपने पति के साथ शादी के उपरान्त से ही पिता के द्वारा दिये गये जमीन पर घर/मकान बनाकर स्थायी रूप से रहने लगी। वादी का कहना है कि वो 40% निःशक्त है, जिसका विकलांगता

प्रमाण-पत्र, 2011 में निर्गत है, जिसमें भी स्थायी पता नरदह, पुरैनी दर्ज है। अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज के पत्रांक 2862-2 दिनांक 01.08.2012 के द्वारा निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति किया गया है। जिसमें ग्राम नरदह वार्ड नं0-05, दर्ज है। वादी का कहना है कि मेरा एवं मेरे पति शेख सलीम के नाम से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र क्रमशः EPIC no.-XR11645613 एवं XR11645605 है, जो दिनांक 17.03.2015 का बना हुआ है तथा उक्त पोषक क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण है। चयनित सहायिका के विरूद्ध वादी का आरोप है कि वे उक्त केन्द्र की सेविका की सगी बहन हैं तथा वह भी उक्त पोषक क्षेत्र की बेटी है। उक्त के आलोक में पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए प्रश्नगत केन्द्र की सहायिका हेतु मेधा सूची में क्रमांक-01 पर रहने के परिपेक्ष्य में वादी का चयन करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपना लिखित उत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा आयुक्त न्यायालय में देर से वाद दाखिल करना एवं वादी को उक्त पोषक क्षेत्र का नहीं होना बताया गया है। प्रतिवादी का कहना है कि आई0सी0डी0एस0 के नियुक्ति प्रक्रिया यानि मार्गदर्शिका, 2019 में स्पष्ट है कि आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका हेतु संबंधित पंचायत के मैपिंग क्षेत्र का बहू होना आवश्यक है तथा उसके पति एवं ससुर का नाम संबंधित पंचायत के स्थायी निवासी तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है।,प्रतिवादी का कहना है कि मेधा सूची में शैक्षणिक अंक की वरीयता उन अभ्यर्थियों में ही होना है, जो संबंधित पोषक क्षेत्र की महिला है उपरोक्त आधार पर वाद को खारिज करने की मांग की है।

उभय पक्ष का पक्ष सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह परिलक्षित होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता सवीला खातुन तथा उनके पति का नाम प्रखंड-पुरैनी, ग्राम पंचायत-नरदह, वार्ड नं0-05 के पंचायत आम निर्वाचन नामावली, 2016 के मतदाता सूची में अंकित है। तदनुसार आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-05 के अनुसार पुनरीक्षणकर्त्ता प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र की मतदाता एवं निवासी हैं। तदालोक में निम्न न्यायालय आदेश को खंडित

करते हुए प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र की सहायिका के पद पर फुलबड़ी खातुन के चयन को रद्द किया जाता है तथा पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करते हुए मेधा क्रमांक-01 की आवेदिका सबीला खातुन, पति-शेख सलीम का चयन करने का आदेश दिया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुरैनी को तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

5/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

5/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।